N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0028 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/02/2025 15:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2015 **Date To (दिनांक तक):** 28/05/2020

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/02/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/02/2025 15:46:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALYA MUKHY BLOCK, SHIKSHA ADHIKARI, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PREM KUMARI

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** LEKHRAJ GERA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1963 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHALSA NAGAR, SHRIGANGANAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHALSA NAGAR, SHRIGANGANAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	OMPRAKESH SHARMA AND OTHERS		पिता:SAHDEV SHARMA	1. VPO MIRJEWALA,SHRIGANGANAGAR,GANGA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		37,38,66,055.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 37,38,66,055.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादिया श्रीमती प्रेमकुमारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भ्रनिब्यूरो (पीई/परिवाद) जयपुर द्वारा मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर कार्यालय में 38 करोड़ रूपये गबन कर राज्य सरकार को हानि पहूंचाने के आरोपो की एक लिखित शिकायत ब्यूरो मुख्यालय पर प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर में 38 करोड़ रूपये के फर्जी व्यक्तियों के नाम (रिटायर्ड, मृत्यु होने पर) वेतन बिल/एरियर/सिलेन्डर लीव बिल फर्जी भुगतान उठाकर करीबन 38 करोड रूपये का गबन किया है। जिनकी जांच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मे चल रही है। परन्तु यह गबन/मामला पीसी एक्ट के तहत आता है। कृपया संबधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाने की कृपा करावें आदि। उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद सं. 79/20 दिनांक 28.05.20 विरूद्ध कार्मिकगण, कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर की दर्ज होकर प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सत्यापन के दौरान शिक्षा विभाग, वित्त (व्यय) विभाग द्वारा अंकेक्षण एवम निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा अलग अलग करवाई गई जांच की रिपोर्ट हासिल की गई। श्री सुनील कुमार मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवम श्री जसवन्त कडवासरा सहायक कोषाधिकारी से जांच कर बयान लेखबद्व किये गये। बयानात गवाहान एवम प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्थिति निम्न प्रकार हैः- मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 1265-66 दिनांक 30.07.2019 के क्रम में सेवानिवृत कार्मिकों को उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान के बिलों की जांच हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा दिनांक 31.07.2019 के अनुसार पूर्व वर्षों के बिल पंजिका व बिलों का मिलान आईएफएमएस (एकीकृत वित्तिय प्रबन्धन प्रणाली) से किया गया, जिसमें बिलों का इन्द्राज बिल पंजिका में नहीं पाया गया। वर्ष 2015-16 के फर्जी बिल क्रम संख्या 1 से 12 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के फर्जी बिल संख्या 13 से 48 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के फर्जी बिल 49 से 110, वित्तीय वर्ष 2018-19 के फर्जी बिल संख्या 111 से 160 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के फर्जी बिल क्रम संख्या 161 से 173 तक फर्जी पाए गए। जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक केवल मद 2071 की ही विस्तृत जांच की गई, जिसमें कुल राशि 37,38,26,055- रूपये गबन होना पाया गया है। समस्त फर्जी बिलों का भुगतान श्री ओमप्रकाश शर्मा के पारिवारिक सदस्यों व परिचितों के खातों में किया गया है। उक्त फर्जी बिलों की जांच में पाया गया कि अधिकतर बिल कार्यालय समय से पूर्व या कार्यालय समय के पश्चात् कोष कार्यालय श्रीगंगानगर को प्रेषित किए गए हैं, जिन सेवानिवृत कार्मिकों के नाम से भुगतान उठाया गया है, उनकी एम्पलाई आईडी भी संदिग्ध है। इस जांच रिपोर्ट में जीपीएफ कार्यालय, कोष कार्यालय तथा विभिन्न बैकों की भूमिका भी संदेहजनक माना है। विशिष्ट शासन सचिव, अंकेक्षण अनुभाग वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 5 (3) वित्त/अंकेक्षण/2019 दिनांक 19.08.2019 के द्वारा निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया गया जिसमें 1. श्री प्रताप सिंह पूनिया अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर, 2. श्री महेश कुमार सेठिया सहायक लेखाधिकारी प्रथम, 3. श्री सुभाष चन्द्र सहायक लेखाधिकारी प्रथम, 4. श्री बाबू लाल कनिष्ठ लेखाकार, 5. श्री संजय कुमार गुप्ता सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज0-जयपुर शामिल थे। इस जांच टीम को मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर में 38.00 करोड़ के गबन की अवधि के लेखों के साथ-साथ इस गबन के संदर्भ में कोषागार, बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कार्मिकों की भूमिका की भी जांच करते हुये इस विशेष जाँच में दृष्टिगत होने वाली अनियमितताओं के लिये अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा उक्त राशि का गबन किन प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों की पालना न करने या स्थापित प्रक्रिया में अथवा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में रही कमियों को उजागर करने के लिये निर्देशित किया गया। विशेष जांच दल अनुसार उक्त गबन का प्रमुख कारण बजट मद 2071 पेंशन एवं सेवानिवृति हित लाभ में राज्य कार्मिकों को सेवानिवृति पर सेवाभिलेखों के बकाया अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले छुट्टियों के नकदीकरण के मद में बजट आवंटन का प्रावधान नहीं होने के कारण मद पर समुचित नियंत्रण नहीं होना रहा। विशेष जांच दल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 (31.07.2019) के मध्य 172 विपत्रों द्वारा राशि रू0 37,38,66,055 (शब्दों में अखरे रूपये सैंतीस करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार पचपन मात्र) का अनियमित भुगतान आहरित (गबन) होना पाया गया। विशेष जांच दल अनुसार दिनांक 01.04.2002 से राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का

भुगतान मद 2071-पेशन तथा सेवानिवृति लाभ,मद 01-सिविल तथा मद 115-छुटटी नगदीकरण हित लाभ के लिये निर्धारित करते हुये इस बजट मद के नियंत्रक अधिकारी निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग होंगे तथा समस्त विभाग सेवानिवृति पर अवकाश के नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति की एक प्रति एवं मद में हुए व्यय का मासिक विवरण पत्र निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग को निश्चित रूप से भिजवायेंगे ताकि पेंशन विभाग द्वारा महालेखाकार से अंक मिलान समय पर किया जाता रहे, लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसी स्वीकृति की प्रति तथा उक्त मद में हुए व्यय का मासिक विवरण पत्र नहीं भिजवाया गया है। विशेष जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री ओमप्रकाश शर्मा, शारीरिक शिक्षक विगत कई वर्षों से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी पदेन BRCF समग्र शिक्षा अभियान श्रीगंगानगर के आदेशों से कार्यकारी व्यवस्था पर इस कार्यालय में अपने पद से भिन्न अन्य सेवायें यथा कार्यालय के विभिन्न कार्यों में सहयोग के साथ-साथ सांख्यिकी कार्य, सेवा रिकार्ड पूर्ण करना एवं वेतन आदि कार्य संपादित कर रहे थे। विशेष जांच दल द्वारा मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा गठित कमेटी का उल्लेख करते हुए पाया कि श्री ओमप्रकाश शर्मा, शाशि दस वर्ष से कार्यालय में बिल बनाने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की फर्जी हस्ताक्षर कर कार्यालय से बाहर बिल बनाम कोषालय, श्रीगंगानगर को भिजवा पास करवाये गये। पारित बिलों की राशि आॅनलाईन श्री ओमप्रकाश शर्मा, शाशि ने अपने परिजनों के खातों में स्थानान्तरित करवाई। उक्त गबन की राशि दुष्यंत शर्मा, कैलाश शर्मा, सरोज, प्रियंका, मनोज शर्मा के खातों में भुगतान की गई है। और हर बार इन्हीं व्यक्तियों के नाम से खातों का बदल-बदल कर भुगतान किया गया है, उक्त समस्त व्यक्ति कार्यालय में प्रतिनियुक्त कार्मिक ओमप्रकाश शर्मा, शाशि के पारिवारिक सदस्य है। उक्त फर्जी बिलों की जांच में पाया गया है कि अधिकतर बिल कार्यालय समय से पूर्व या कार्यालय समय के पश्चात् कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर को प्रेषित किये गये हैं। विशेष जांच दल द्वारा जांच करने पर यह पाया कि गबन की राशि 24 व्यक्तियों के खातों में जमा हुई एवं इनमें से बहुत से विपत्र कार्यालय समय से पूर्व एवं कार्यालय समय के पश्चात् अर्थात् 9.30 PM से 6.00 PM के पूर्व /पश्चात् विपत्र कोष कार्यालय को अग्रेषित होना पाया गया है तथा गबन के 173 विपत्रों के स्थान पर 172 विपत्र गबन से संबंधित श्री मनोज कुमार शर्मा 49484676, सरोज 42882000, कैलाश चन्द्र शर्मा 41560141, दुष्यन्त 39423415, कृष्ण लाल 22762560, प्रियंका 20806533, पुनम 20036677, राजशिव 17940595, सजना देवी 17389150, श्याम लाल 13229032, अमनलता 12096328, रेखा 12040111, गुड़ीया 11151802, इन्दिरा देवी 11000033, तरूण 10972622, सोनी 8594026, चन्द्रकान्ता 6743840, कुलविन्द्र कुमार 5391808, कलवन्त 2535226, भूपेन्द्र 2261882, परमेश्वरी देवी 2216502, ओमप्रकाश 1845672, रितिका जिज्ञासु 785380, संजय जिज्ञासु 716044 के नाम से कुल 373866055 रूपये का भुगतान पाया गया है। इस प्रकार विशेष जांच दल अनुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 84 (ii) एवं राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 143 के अनुसार बिल पारगमन पंजिका में इन्द्राज करने के पश्चात् कोषागार में प्रस्तुत किए जाते हैं जबकि राशि रू0 37,38,66,055- का गबन बजट मद 2071 में कुल 172 विपत्रों का पारगमन पंजिका में इन्द्राज नहीं होने के कारण उक्त अनियमित विपत्रों का आहरण/लेन-देन कोषागार से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना भी एक कारण रहा। विशेष जाँच दल अनुसार कोषागार से पारित अनियमित विपत्र मद 2071 राशि रू0 37,38,66,055/- के 172 विपत्रों पर अंकित हस्ताक्षर का नमूना हस्ताक्षर शीट से मिलान करने पर प्रथम दृष्टया हस्ताक्षरों में भिन्नता प्रतीत होती है जबकि राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 131 के अनुसार कोषालय द्वारा विपत्रों के भुगतान आदेश से पूर्व कोषालय में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नमूना हस्ताक्षर सूची में अंकित हस्ताक्षर से मिलान सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए था । पारित विपत्रों के संलग्नक में अत्यधिक अन्तर पाये गये, संलग्नक में छुट्टियों के नकदीकरण की स्वीकृति का अवलोकन करने पर एक ही स्वीकृति आदेश में आरएसआर नियम 91 (बी) के तहत उपर 300 दिवस अनुपयोगी उपार्जित अवकाश एवं नीचे 204 दिवस अंकित किये गये हैं, जो कि अवलोकन एवं आक्षेप कोषागार द्वारा अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार सेवानिवृति आदेशों एवं दावा विपत्रों में अंकित कार्मिकों के नाम भिन्न पाये गये जिसकी कोषागार द्वारा विपत्र पारित करते समय जाँच नहीं की गई एवं कोषालय द्वारा विपत्र पारित कर दिये गये। विशेष जांच दल अनुसार 172 विपत्रों के माध्यम से 515 काल्पनिक कार्मिकों के दावे 515 बार भुगतान सीधे ही खातेदार को अथवा उनके स्वनिर्मित नामिति/उत्तराधिकारियों के नाम मात्र 24 संदिग्ध व्यक्तियों के विभिन्न बैंकों की राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित विभिन्न शाखाओं में खोले गए खातों में राशि जमा एवं भुगतान की गई, उक्त खाते पूर्व में बैंक शाखाओं में संचालित थे अथवा नवीन खाते खोले जाकर उक्त भुगतान आहरित एवं भुगतान किया गया है तथा वर्णावली बदल-बदल कर तथा जाति सहित एवं जाति रहित खाते खोला जाना अलग-अलग एवं अलग-अलग शाखा तथा उनमें खोले गए उक्त 24 व्यक्तियों (पुरूषों एवं स्त्रियों) के KYC एवं आई.डी.प्रूफ को बैंकों द्वारा मिलान किस आधार पर किया गया तथा जब भी बैंक शाखाओं में कोई खाता खोला जाता है, तो इससे पूर्व अन्य बैंक खाताधारक अथवा सक्षम राजपत्रित अधिकारी या बैंक कार्मिक के द्वारा नए खाता खोले जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि करने के पश्चात् नया खाता खोला जाता है। राज्य स्तरीय विशेष जांच दल द्वारा प्रकरण हाजा में कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के अतिरिक्त कोष कार्यालय श्रीगंगानगर, बीमा व प्रावधायी निधि विभाग श्रीगंगानगर एवं बैंकों की

सहभागिता होना पाया है। इसी प्रकार संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र दिनांक 9.10.2019 के क्रम में निदेशालय कोष एव लेखा राज0 जयपुर द्वारा भी पत्रांक 2704-2711 दिनांक 28.01.20 के जरिये उक्त प्रकरण में जांच हेतु श्री शिवचरण मीणा सयुक्त निदेशक (कोष) के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री सौरभ पालीवाल सहायक निदेशक (आईएफएमएस), श्री अजय सांखला सहायक लेखाधिकारी, श्री रोशन लाल नागरवाल सहायक लेखाधिकारी एवम श्री सुरेश सोमानी सहायक लेखाधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया गया। इस जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार कोषालय श्रीगंगानगर में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं में निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना पाई गई 1. बिलों पर किये गये आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) के हस्ताक्षर कोषागार में संधारित नमूनों के हस्ताक्षर से प्रथम दृष्टया भिन्न प्रतीत होते है। कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/लेखाकार द्वारा बिलों पर अंकित हस्ताक्षरों की नमूना हस्ताक्षर से सावधानीपूर्वक जांच किये बिना ही बिल पारित किये गये। 2. एक कार्यालय से इतने अधिक राशि के सेवानिवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के बिल प्राप्त होने पर भी विस्तृत जांच किये बिना ही लगभग 4 वर्ष तक बिल पारित किये जाते रहे है। 3. पारगमन पंजिका में इन्द्राज नहीं होने पर भी कोषागार द्वारा बिल स्वीकार किये गये, जबकि राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 143 के अनुसार पारगमन पंजिका में इन्द्राज होने पर ही कोषागार द्वार बिल स्वीकार किये जाते है। 4. विपत्रों के माध्यम से 167 दावे जो कि काल्पनिक कार्मिकों को सेवानिवृति पश्चात उनकी मृत्यु दर्शायी जाकर उनके स्वनिर्मित काल्पनिक उत्तराधिकारियों के नाम बैंक खातों में राशि जमा करवाई गई, ऐसे विपत्रों के साथ न तो मृत्यु प्रमाण पत्र और न ही उत्तराधिकारी नामांकन पत्र की प्रतियां संलग्न पायी गई। अतः इन पत्रों के बिना ही कोषागार द्वारा बिल पारित किये गये। 5. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही कोषागार में बिल स्वीकार किये जाते है। प्रस्तुत प्रकरण में बिल अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से लिये गये या नही इसकी भी जांच अपेक्षित है। विशिष्ट जांच दल की अनुशंसा के अनुसार यदि कोषागार कार्मिकों द्वारा कोषागार नियमों की पालना की जाती एवम पूर्ण सावधानी व सर्तकता से बिल पारित किये जाते तो गबन को रोका जा सकता था। नियमों की पालना न कर राशि रूपये 37.38/-करोड की बडी राशि का कोषागार से आहरण होने में कोषागार के कार्मिकों की संलिप्तता भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इस प्रकार समस्त जांच से आरोपी ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री सहदेव शर्मा तत्कालीन शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 7, श्रीगगानगर निवास स्थान वीपीओ मिर्जेवाला जिला एव तह0 श्रीगगानगर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से का वर्ष 2019-20 तक विभिन्न विभागों के अधिकारी/ कर्मचारियों से मिली भगत कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने पारिवारिक सदस्यो एव परिचितो के खातो मे लगभग 37,38,66,055 रुपये का फर्जी भुगतान प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुचायी। अतः श्री ओमप्रकाश एव अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय, एसडी (वेदप्रकाष लखोटिया) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाष लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री सहदेव शर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी वीपीओ मिर्जेवाला जिला व तह. श्रीगंगानगर तत्कालीन तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक राज. उच्च प्रा. विधालय सं.07 श्रींगगानगर, जिला श्रीगंगानगर 2.एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेश गेरा उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 112 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 136–39 दिनांक 07.02.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर। 3. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARESH KUMAR GERA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/11/1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)